भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3144
जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

पॉक्सो हेतु फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय

3144. सुश्री सयानी घोष :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अब तक सरकार द्वारा वर्ष-बार कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है ;

(ख) संपूर्ण देश में विशेष पोक्सो न्यायालयों सहित राज्य-वार कुल कितने एफटीएससी कार्यशील हैं ; और

(ग) उक्त योजना की शुरुआत से लेकर अब तक एफटीएससी और विशेष पॉक्सो न्यायालयों द्वारा कितने मामले निपटाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : दंड विधि संशोधन अधिनियम, 2018 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार अक्टूबर, 2019 से, बलात्संग तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम संबंधित लंबित मामलों का समयबद्ध रीति में शीघ्र विचारण तथा निपटान करने हेतु फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) को स्थापित करने के लिए जिसके अंतर्गत अनन्य रूप से पॉक्सो न्यायालय भी हैं ,केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है ।

आरंभ में स्कीम एक वर्ष के लिए कार्यान्वित की गई थी, जिसे मार्च,2023 तक बढ़ा दिया गया था । स्कीम अब, 1952.23 करोड़ रुपए के परिव्यय पर, जिसमें 1207.24 करोड़ रुपए निर्भया निधि में से केंद्रीय अंश के रूप में उपगत किए जाने वाले हैं, 31 मार्च,2026 तक बढ़ा दी गई है । एक न्यायिक अधिकारी के साथ 7 सहयोगी कर्मचारियों का वेतन चुकाने के लिए सीएसएस क्रम (60:40, 90:10) पर निधि जारी की जाती है तथा दैनिक व्ययों को पूरा करने के लिए नम्य अनुदान जारी किया जाता है । एफटीएससी स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रतिपूर्ति आधार पर निधि जारी की जाती है, जिसका अवधारण संबद्ध राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यशील न्यायालयों की संख्या द्वारा किया जाता है । स्कीम के प्रारंभ से, केंद्रीय सरकार द्वारा एफटीएससी स्कीम के अधीन निम्नानुसार वर्ष-वार निधि आबंटित तथा जारी की गई है :

(रूपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	आबंटित बजट	जारी निधि में केंद्रीय अंश
2019-20	140.00	140.00
2020-21	160.00	160.00
2021-22	180.00	134.55*
2022-23	200.00	200.00
2023-24	200.00	200.00

2024-25	200.00	82.78 (तारीख तक)
योग	**1080.00**	**917.33**
*कोविड तथा नई पीएफएमएस प्रणाली को राज्यों द्वारा अपनाने में समय लेने के कारण वर्ष 2021-22 में आबंटित बजट के लिए कम निधि जारी की गई थी ।		

मई, 2024 तक उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 755 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय जिसके अंतर्गत 410 अनन्य रूप से पॉक्सो न्यायालय भी हैं, देश भर में 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यशील हैं, जिन्होंने 2,53,000 से ऊपर मामलों का निपटान किया है । 31 मई, 2024 की स्थिति के अनुसार कार्यशील फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की संख्या के साथ निपटाए गए मामलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **उपाबंध** पर है ।

****

9 अगस्त, 2024 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 3144 के उत्तर में यथानिर्दिष्ट उपाबंध

मई, 2024 की स्थिति के अनुसार कार्यशील फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की संख्या के साथ निपटाए गए मामलों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कार्यशील न्यायालय		स्कीम के प्रारंभ से संचित निपटान		
		एफटीएससी सहित अनन्य रूप से पॉक्सो	अनन्य रूप से पॉक्सो	एफटीएससी	अनन्य रूप से पॉक्सो	योग
1	आंध्र प्रदेश	16	16	0	4899	4899
2	असम	17	17	0	5893	5893
3	बिहार	46	46	0	11798	11798
4	चंडीगढ़	1	0	265	0	265
5	छत्तीसगढ़	15	11	924	4044	4968
6	दिल्ली	16	11	555	1262	1817
7	गोवा	1	0	32	34	66
8	गुजरात	35	24	2263	9793	12056
9	हरियाणा	16	12	1572	4675	6247
10	हिमाचल प्रदेश	6	3	416	1126	1542
11	जम्मू-कश्मीर	4	2	91	101	192
12	झारखंड	22	16	2279	4537	6816
13	कर्नाटक	31	17	3740	6657	10397
14	केरल	55	14	13530	6123	19653
15	मध्य प्रदेश	67	57	3894	22456	26350
16	महाराष्ट्र	14	7	7258	11530	18788
17	मणिपुर	2	0	146	0	146
18	मेघालय	5	5	0	462	462
19	मिजोरम	3	1	148	55	203
20	नागालैंड	1	0	61	3	64
21	ओडिशा	44	23	4992	9521	14513
22	पुडुचेरी	1	1	0	83	83
23	पंजाब	12	3	2055	2061	4116
24	राजस्थान	45	30	4502	10138	14640
25	तमिलनाडु	14	14	0	7225	7225
26	तेलंगाना	36	0	5993	2731	8724
27	त्रिपुरा	3	1	203	186	389
28	उत्तराखंड	4	0	1614	0	1614
29	उत्तर प्रदेश	218	74	34091	34998	69089
30	पश्चिमी बंगाल	5	5	0	106	106
	योग	**755**	**410**	**90624**	**162497**	**253121**

****